न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 01/2018 अपील/डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 26.02.2018
निर्णय दिनांक– 04.09..2019

1. श्री रमणलाल पिता स्व. मगनलाल कलाल निवासी पाडलीगुजरेश्वर तहसील झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर
2. श्री मनोहरलाल पिता स्व. मगनलाल कलाल निवासी पाडलीगुजरेश्वर तहसील झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री तुलसीराम पिता स्व. मगनलाल कलाल निवासी सीमलवाड़ा तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी विनोद कलाल पिता स्व. मगनलाल कलाल निवासी ग्राम खेड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा : अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर
के क्रमांक 503–505 निर्णय दिनांक 10.04.2017

निर्णय

दिनांकः 04.09.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर

Web Copy - Not Official

के क्रमांक 503–505 निर्णय दिनांक 10.04.2017 के विरूद्ध दिनांक 02.01.2018 को प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पाडलीगुजरेश्वर तहसील झौंथरीपाल जिला डूंगरपुर की विवादग्रस्त कृषि भूमि श्री मगनलाल पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी पाडलीगुजरेश्वर के नाम दर्ज थी। श्री मगनलाल की मृत्यु के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के गोद चले जाने एवं उनके पिता द्वारा उनके नाम पर वसीयत करने से भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र श्री मनीष कुमार पिता तुलसीराम ने पेतृक भूमि को विरासत से दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.04.2017 से स्व. श्री मगनलाल की विवादग्रस्त भूमि पेतृक सम्पति मानते हुए सभी वारीसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अन्यथा भी औपचारिक पक्षकार है। अधिवक्ता अपीलान्ट श्री हनुमान प्रसाद शर्मा की दिनांक 29.08.2019 को एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों का ही दौहराव करते हुए बताया कि श्री मगनलाल द्वारा उनकी मृत्यु 17.8.2016 से पूर्व दिनांक 1.4.2005 को अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री तुलसीराम को 2.7.1984 को रजिस्टर्ड गोदनामे से हूका व जीवत के गोद रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेजी व मौखिक

साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक व तथ्यों के विपरीत निर्णय किया है। अपने प्राकृतिक पिता की विरासत प्राप्त करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट अन्यत्र पंजीकृत गोदनामे से पूर्व गोद जा चुका है तो उसे प्राकृतिक पिता की विरासत विधि अनुसार नहीं दी जा सकती, विशेषरूप से जब मूल पिता ने अपनी वसीयत में गोद का जिक्र करते हुए अपनी सम्पति से उसे वंचित किया है तो फिर गोद पुत्र को प्राकृतिक पिता की विरासत नहीं दी जा सकती। पीठासीन अधिकारी तहसीलदार, तुलसीराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मकान में किरायेदार रहते थे, अतः गलत फायदा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तुलसीराम को देने के लिये त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया तथा निर्णय की जानकारी भी अपीलान्ट को नहीं दी गई। अपील स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खोले गये नामान्तरकरण को अपास्त किया जाये।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाप्ता मियाद का आवेदन व शपथपत्र पेश कर वर्णित किया है कि अपीलान्ट को पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मकान में किरायेदार रहने के कारण गलत फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से निर्णय की जानकारी नहीं दी गई। प्रकरण में हम न्याय हित व अखण्डित शपथ–पत्र के कारण मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

उपरोक्त समस्त विवेचना अनुसार हम अपील में यह पाते है कि प्रकरण मे यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक मगनलाल की मृत्यु दिनांक 17.8.2016 से पूर्व दिनांक 2.7.1986 को पंजीकृत गोदनामे से जीवत के गोद जा चुका है। गोद जाने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मृतक मगनलाल की सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं रहता। प्रकरण में पक्षकारान की बहन कमला द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में बयान देकर अवगत कराया है कि तुलसीराम गोद चला गया है तथा मगनलाल ने वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में ही की है। प्रकरण

में पटवारी की रिपोर्ट में भी मगनलाल की भूमियों पर अपीलान्ट मगनलाल के दो पुत्र रमणलाल व मनोहरलाल ही काबिज होने की रिपोर्ट है तथा तुलसीराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व कमलादेवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मगनलाल की पुत्री का कब्जा नहीं है, हालांकि विरासत में कब्जा गौण होता है, परन्तु दस्तावेजात, पटवारी की रिपोर्ट व बयानात से स्पष्ट होता है कि मृतक मगनलाल के जीवनकाल में ही उसका पुत्र तुलसीराम अन्यत्र गोद चला गया था तथा मृतक मगनलाल ने अपनी वसीयत मे भी तुलसीराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी सम्पति से वंचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण में तथ्यों, दस्तावेज एवं बयानात से पृथक जाकर निर्णय किया है, अतएव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण में मृतक मगनलाल की विरासत से तुलसीराम के गोद जाने के कारण उसे मगनलाल की विरासत से उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता एवं तद्नुसार मृतक मगनलाल की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाये। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official